न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर (फा.ट्रेक)शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– वाद संख्या 62/2004 पुनः दर्ज 55/2013

शीर्षक

1. मु0 सन्ती पुत्री श्योसहाय पत्नी मालीराम जाति यादव निवासी शेरपुरा खोरी
2. ग्यारसी पुत्री श्योसहाय पत्नी सुण्डाराम जाति यादव निवासी ढाणी ढेरावाली तह0 शाहपुरा जयपुर

–वादीगण

बनाम

1. मु0 रामकूरी पत्नी श्योसहाय (फौत) नाम हजफ
2. केशरी पत्नी भंवरलाल
3. भंवरलाल
4. झूथाराम } पि0 देवबक्स
   - 4/1 प्रभाती देवी उर्फ प्रभु देवी पत्नी झुथाराम
   - 4/2 ग्यारसी लाल पुत्र झूथाराम
   - 4/3 कन्हैयालाल पुत्र झूथाराम
   - 4/4 सूरजमल पुत्र झूथाराम
   - 4/5 बाबूलाल पुत्र झूथाराम
   - 4/6 अर्जुन उर्फ करणसिंह पुत्र झूथाराम
   - 4/7 महेश पुत्र झूथाराम
   - 4/8 मैना पुत्री झूथाराम
   - 4/9 प्रेम देवी पुत्री झूथाराम
5. भूरी देवी पत्नी देवबक्स (फौत)
6. बिरदी चन्द पुत्र जवाना (फौत)
   - 6/1 बिदामी पत्नी बिरदी चन्द
   - 6/2 सुरेश पुत्र बिरदी चन्द
   - 6/3 कैलाश पुत्र बिरदी चन्द
   - 6/4 राधेश्याम पुत्र बिरदीचन्द
   - 6/5 मुन्नी देवी पुत्री बिरदीचन्द
   - 6/6 सजना पुत्री बिरदीचन्द
7. रामेश्वर पुत्र जवाना

   समस्त जाति यादव निवासी राजपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर।
8. मु0 तीजा पत्नी जवाना
9. मु0 अणची देवी पुत्री श्योसहाय पत्नी शिवराम जाति यादव निवासी ढ़ाणी नवां की तन खोरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक तहसील शाहपुरा जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जयपुर।
12. राजेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र श्योसहाय जाति यादव निवासी राजपुरा तह0 शाहपुरा

–प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

दावा बाबत् इस्तहारहक खातेदारी बंटवारा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 17-10-2022

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीवीसी संक्षेप में इस प्रकार पेश किया गया है कि उक्त उनवानी प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में दिनांक 08.12.2005 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी में वर्तमान में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों के अलावा अन्य दीगर आधारों पर प्रस्तुत किया गया था, जिसे वाद सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.05.2006 से खारिज कर दिया गया थां जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई थी, जो कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष श्रीमती रामकूरी वगै0 अनाम सन्ती वगै0 निगरानी याचिका, सं0 2006/3426 पर विचाराधीन रहकर पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के आधार पर खारिज होकर आगामी सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय को पुनः प्राप्त हुई है।

उक्त उनवानी प्रकरण में प्रश्नगत आराजी हाल खसरा नं0 86 लगायत 91, 93 लगा0 96, 127 लगा0 130, 144 लगा0 151, 253 लगा0 261, 266 लगा0 268, 274 लगा0 281, 349 लगा0 352, 356, 357 कुल किता 48 रकबा 12.08 है0 वाकै ग्राम राजपुरा तहसील शाहपुरा (जयपुर) के 1/3 भाग की खातेदारी श्योसहाय पुत्र जवाहर के नाम दर्ज रही है। श्योसहाय पुत्र जवाहर की मृत्यु हो जाने पर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

उसके साथ दर्ज सम्पूर्ण 1/3 हिस्से का नामान्तकरण प्रतिवादी सं0 1 जो कि उनवानी प्रकरण की वादीयागण तथा प्रतिवादी सं. 9 की माता रामकूरी थी के नाम खुलकर खातेदारी में रामकूरी पत्नी श्योसहाय के नाम दर्ज हो गई। प्रतिवादी संख्या 1 रामकूरी की मृत्यु दिनांक 08.05.2015 को हो चुकी है। राजस्व अभिलेखों में रामकूरी का नाम 1/3 हिस्से के सहकृषक के रूप में दर्ज होने के बाद खातेदार रामकूरी ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि में से खाता संख्या 93 में स्थित आ.ख.न. 86/0.03, 87/0.27, 88/0.36, 89/0.40, 90/0.12, 91/0.19, 93/0.03(बिडाला वाला कुंआ मय बिजली कनेक्शन), 94/0.25, 95/0.22, 96/0.20, 127/0.09, 128/0.11, 129/0.05, 130/0.03, 144/0.04, 145/0.35, 146/0.27, 147/0.34, 148/0.31, 149/0.36, 150/0.30, 151/0.38, कुल किता 22 रकबा 4.70 है0 में हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण को एवं आ.ख.नं. 253/0.31, 254/0.26, 255/0.04, 256/0.05,(नरसा वाला कुआं बिना बिजली कनेक्शन), 257/0.05, 258/0.09, 259/0.19, 260/0.34, 261/0.42, 266/0.28, 267/0.38, 268/0.42, 274/0.60, 275/0.34, 276/0.30, 277/0.33, 278/0.29, 279/0.29, 280/0.46, 281/0.53, 349/0.21, 350/0.30, 351/0.26, 352/0.18, 356/0.16, 357/0.30, कुल किता 26 रकबा 7.38 है0 में से हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/3 भाग सम्पूर्ण खातेदारी को दिनांक 31.03.2004 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 2 केशरी देवी धर्मपत्नी भंवर लाल अहीर के पक्ष में बेचान कर मौके पर कब्जा संभला दिया था। जिस पर वादीयागण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.05.2004 को उपरोक्त उनवानी वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। जिसमें उपरोक्त उनवानी प्रकरण का प्रतिवादी सं0 9 द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत किया गया। तथा प्रतिवादी सं0 9 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2004 को सही होना स्वीकार किया हुआ है तथा दौराने विचारण वादिया सं0 2 द्वारा दिनांक 19.10.2012 को तथा प्रतिवादी सं0 9 अणची देवी द्वारा दिनांक 09.11.2012 को मृतक श्योसहाय से विरासत में प्राप्त सम्पूर्ण अचल सम्पतियों में अपने अपने हिस्से का हक त्याग जरिये रजिस्टर्ड हक त्याक पत्र से श्रीमती रामकूरी पत्नी स्व. श्योसहाय के पक्ष में किये जाने के कारण जो कि वादिया सं0 2 व प्रतिवादी सं0 9 के मृतक श्योसहाय द्वारा छोडी गई सम्पतियों में कोई हक हिस्सा नहीं बचा, तो वादिया सं0 2 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई वाद कारण भी शेष नहीं रहता है। इस कारण दावा वादिया सं0 2 को वाद कारण शेष नहीं होने से इसी प्रकम पर खारिज किये जाने योग्य है। इसके अलावा उक्त ग्यारसी देवी पुत्री श्योसहाय एवं अणची देवी उर्फ भागोती देवी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर, राजस्थान के समक्ष दिनांक 20.10.2012 को इस आशय का आवेदन राजीनामा प्रस्तुत कर दिया कि ग्यारसी देवी व अणची देवी द्वारा अपनी माता रामकूरी के पक्ष में अपने हक का त्याग पत्र पंजीकृत करवा दिया गया है एवं पंजीकृत कराये जाने के पश्चात उनका किसी तरह का कोई विवाद सम्पति के संबंध में प्रार्थीगण से शेष नहीं रहा एवं निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने से भी कोई एतराज नहीं है, ऐसी स्थिति में भी अब वादिया सं0 2 के पास किसी प्रकार का कोई वादकारण उपरोक्त उनवानी प्रकरण को चलाये जाने हेतु शेष नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में दावा वादिया सं0 2 इसी क्रम में खारिज किये जाने योग्य है।

माननीय राजस्व मंडल अजमेर, राजस्थान के समक्ष निगरानी विचाराधीन रहने के दौरान वादिया सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 20.02.2020 को एक प्रार्थना पत्र बाबत आज ही सुनवाई हेतु राजीनामा प्रस्तुत कर उभय पक्षों के द्वारा उसी दिन दिनांक 20.02.2020 को माननीय राजस्व मंडल अजमेर, राजस्थान के समक्ष आवेदन पत्र धारा 151 सी.पी.सी प्रस्तुत किया, जिसमें वादिया सं0 1 सन्ती देवी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है, तथा राजीनामा के अनुसार अप्रार्थी सं0 1 श्रीमती संती देवी यह स्वीकार करती है कि उसके पिता श्री श्योसहाय के देहान्त के पश्चात उसकी माता श्रीमती रामकूरी के पक्ष में जो नामान्तकरण तस्दीक किया गया है वह पूर्णतया सही है। एवं उसे नामान्तकरण से कोई आपत्ति नहीं है तथा रामकूरी द्वारा जो भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 2 केसरी देवी को बेचान की गई है उस विक्रय से भी संती देवी पूर्णतया सहमत है। ऐसी स्थिति में वादिया सं0 1 पर विबंधन का सिद्धान्त लागू हो जाने के कारण वर्तमान में उक्त उनवानी प्रकरण को चलाए जाने हेतु वादिया सं0 के पास किसी तरह का वाद कारण शेष नहीं रह जाता है। अतः वादिया सं0 1 का दावा इसी प्रकम पर कानूनन खारिज किये जाने योग्य है।

स्व. रामकूरी प्रति. सं0 1 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से जो जमीन दिनांक 31.03.2004 को प्रतिवादी सं0 2 केसरी देवी को बेचान कर दी थी, उसके अलावा कुंआ नरसा वाला में शेष बची भूमि दर हिस्सा 1/2, हिस्सा 1/3 अर्थात 1/6 भाग की भूमि रामकूरी के पास शेष रह गई थी। चूंकि ग्यारसी देवी एवं अणची देवी द्वारा अपनी माता के पक्ष में हक त्याग कर दिया गया था ऐसी स्थिति में अब शेष बची भूमि में भी ग्यारसी देवी व अणची देवी का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रह जाता है। इस शेष बची भूमि में 1/2 हिस्सा वादिया संती देवी का, 1/2 हिस्सा राजेन्द्र प्रसाद जायन्दा पुत्र श्री भंवरलाल यादव जो कि मृतक श्योसहाय एवं श्रीमती रामकूरी का दत्तक पुत्र है जिसके पक्ष मे मृतका रामकूरी ने दिनांक

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

06.03.2005 को एक रजिस्टर्ड गोदनामा लिखवाकर पंजीबद्ध करवाया गया है, जिस पर कि प्रतिवादी सं0 9 अणची देवी रजिस्टर्ड गोदनामे की साक्षी भी है का रह जाता है। ऐसी स्थिति में शेष बची भूमि के 1/2 भाग का हिस्से का खातेदार काश्तकार सन्ती देवी व 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार राजेन्द्र प्रसाद को घोषित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष स्वीकार करते हुए दावा वादियागण खारिज फरमाते हुए रामकूरी द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के कंसरीदगी के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान की गई भूमि के अलावा शेष बची भूमि में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार संतीदेवी को तथा 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार राजेन्द्र प्रसाद को घोषित करते हुए तथा वर्तमान में भूमि मुतनाजा रिसीवरी में चल रही है तो रिसीवरी से बागुजाश्त करते हुए सदनुसार राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक प्रार्थीगण को भूमि का कब्जा संभालते हुए रिसीवरी के दौरान जमा राशि का भुगतान प्रार्थीगण को किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का वादीगण के अधिवक्ता ने कोई जवाब पेश नही किया। प्रार्थना–पत्र पर वकील प्रार्थीगण को एक पक्षीय में सुना गया, जिन्होंने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष विचाराधीन उक्त विवादीत प्रकरण में निगरानी संख्या 2006/3426 रामकूरी बनाम सन्ती वगै0 ने प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 20.12.2012, प्रा.पत्र 151 सीपीसी दिनांक 20.02.2020, हक त्याग ग्यारसी देवी पुत्री श्योसहाय दिनांक 19.10.2012 एवं अणची देवी उर्फ भगोती पुत्री श्योसहाय दिनांक 09.11.2012 बहक माता श्रीमती रामकूरी पत्नी श्योसहाय, गोदनामा रामकूरी पत्नी शिवसहाय जाति अहिर प्रतिवादी संख्या 01 दिनांक 13.03.2005 बहक राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भंवरलाल जाति अहीर निवासी राजपुरा तह0 शाहपुरा, मृत्यु–प्रमाण पत्र रामकूरी पत्नी श्योसहाय बहक राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भंवरलाल अहीर निवासी राजपुरा दिनांक 20.05.2014 का अवलोकन कराते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार फरमाते हुए मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन किया। प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत 2054–2057 ग्राम राजपुरा तह0 शाहपुरा स्थित खाता सं0 77 में वर्णित विवादित आराजीयात में प्रतिवादी सं0 01 रामकूरी पत्नी श्योसहाय कौम अहीर सा. देह का 1/3 हिस्सा तथा भंवरलाल, झूथालाल पि0 देवबक्स, भूरी पत्नि देवबक्स का 1/3 हिस्सा तथा जुवाना पुत्र जवाहर का 1/3 हिस्सा रिकॉर्ड में दर्ज है। श्रीमती रामकूरी पत्नी श्योसहाय के कोई जायन्दा पुत्र नहीं है। उसके मात्र तीन लडकियां वादी सं. 01 सन्ती, वादी सं0 2 ग्यारसी, प्रतिवादी सं0 09 अणची पुत्रियां श्योसहाय ही है। प्रतिवादी सं0 01 रामकूरी ने जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 13.03.2005 को राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भंवरलाल यादव जाति अहीर निवासी राजपुरा तह0 शाहपुरा को गोद लिया। जिस पर राजेन्द्र प्रसाद के पिता भंवरलाल पुत्र देवबक्स ने अपनी सहमति प्रदान की है तथा रामकूरी पत्नी श्योसहाय ने राजेन्द्र प्रसाद को गोद लेना स्वीकार किया है एवं उक्त गोदनामा पर बतौर साक्षी प्रतिवादी सं0 09 अणची पुत्री श्योसहाय के भी अगूंठा निशानी अंकित है। इस प्रकार उक्त गोदनामा स्वीकार योग्य है। इसके साथ ही वादी सं0 2 व प्रतिवादी सं0 9 ने अपना हिस्सा पैतृक अचल सम्पति को अपनी माता प्रतिवादी सं0 1 रामकूरी के हक में जरिए हक त्याग पत्र उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा (जयपुर) में पंजीबद्ध दिनांक 19.10.12 एवं 9.11.2012 को करवा दिया है। जिसके अनुसार दादग्रस्त भूमि में उनका कोइ हक अधिकार नहीं रहा है। इस संबंध में वादी सं0 2 ग्यारसी देवी तथा प्रतिवादी सं0 9 अणची देवी स्वयं ने न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के समक्ष विचाराधीन निगरानी याचिका सं0 2006/3426 रामकूरी बनाम सन्ती वगै0 में दिनांक 20.12.2012 को उपस्थित होकर राजीनामा भी प्रस्तुत कर दिया है जिसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि विवादित भूमि के संबंध में अब कोइ विवाद शेष नहीं रहा है। तथा राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जावे। तथा उक्त निगरानी याचिका में प्रकरण मूल दावा में वादी सं0 1 सन्ती देवी(अप्राथी सं0 1) ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी दिनांक 20.2.2020 में स्वीकार किया है कि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। तथा प्रस्तुत वाद अब आगे चलाना नहीं चाहती है।

विवादित आराजी के 1/3 हिस्से की खातेदार प्रतिवादी सं0 1 रामकूरी पत्नी श्योसहाय के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने पर प्रतिवादी सं0 1 रामकूरी ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि में से खाता सं0 93 में स्थित आ.ख.न. 86 लगायत 91, 93, 94, 95 ,96 127, 128, 129, 130, 144, 145, लगायत 151 कुल किता 22 रकबा 4.70 है0 में हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण को तथा खसरा नं0 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 266, 267, 268, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 349, 350, 351, 352, 356

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

357 कुल किता 26 रकबा 7.38 है0 में से 1/2 दर हिस्सा 1/3 भाग सम्पूर्ण को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2004 प्रतिवादी सं0 2 केसरी देवी पत्नी भंवरलाल अहीर के पक्ष में दावा दायरी से पहले ही बेचान कर दिया था उक्त उनवानी वाद पत्र में प्रतिवादी सं0 9 द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अपने जवाब दावे में स्वीकार किया है इसके अलावा दौराने विचारण वादीया सं0 2 ग्यारसी देवी द्वारा दिनांक 19.10.2012 को तथा प्रतिवादी सं0 9 अणची देवी द्वारा दिनांक 9.11.2012 को मृतक श्योसहाय से विरासत में प्राप्त सम्पूर्ण अचल संपत्तियों में अपना-अपना हिस्सा का हक त्याग जरिए रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र से प्रतिवादी सं0 1 रामकूरी पत्नी श्योसहाय जो कि वादीया सं0 2 व प्रतिवादी सं0 9 के मृतक पिता श्योसहाय द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों में कोई हक हिस्सा नहीं होना स्वीकार किया है तो वादीया सं0 2 ग्यारसी देवी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई वादकारण भी शेष नही रहता है इस प्रकार वादीया सं0 2 को कोई वादकारण शेष नहीं होने से दावा खारिज योग्य पाया जाता है इसी के साथ वादीया सं0 2 ग्यारसी देवी व प्रतिवादी सं0 9 अणची देवी उर्फ भगोती देवी ने माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के समक्ष दिनांक 20.12.2012 को इस आशय का राजीनामा प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपनी माता रामकूरी के पक्ष में अपने हक का त्याग पत्र पंजीकृत करवा दिया गया है एवं हक त्याग पंजीकृत कराए जाने के पश्चात उनका कोई विवाद संपत्ति के संबंध में शेष नहीं रहा है ऐसी स्थिति में अब वादीया सं0 2 के पास किसी प्रकार का कोई वादकारण उक्त प्रकरण में शेष नहीं रहा है अतः दावा वादिया सं0 2 खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

इसके अलावा माननीय राजस्व मंडल राज0 अजमेर के समक्ष निगरानी विचाराधीन रहने के दौरान वादिया सं0 1 सन्ती देवी ने जरिए अधिवक्ता दिनांक 20.02.2020 को एक प्रार्थना पत्र बाबत आज ही सुनवाई एवं राजीनामा प्रस्तुत करं उभय पक्षों के द्वारा उसी दिन आवेदन पत्र 151 जाब्ता दिवानी प्रस्तुत कर स्वीकार किया गया है कि पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। एवं राजीनामा के अनुसार अप्रार्थीसंख्या 01 सन्ती देवी यह स्वीकार करती है कि उसके श्योसहाय के देहान्त के पश्चात् उसकी माता रामकूरी के पक्ष में जो नामान्तरकरण तस्दीक किया है वह पूर्णतया सही है, उसे नामान्तकरण से कोई आपत्ति नहीं है। रामकूरी द्वारा जो भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 02 केशरी देवी को बेचान की गई है। उससे भी सन्ती देवी पूर्णतया सहमत है। ऐसी स्थिति में वादीया संख्या 01 पर विबंधन का सिद्धांत लागू होने के कारण वर्तमान में उक्त उनवानी प्रकरण को चलाये जाने हेतु वादीया संख्या 01 के पास किसी तरह का वादकरण शेष नहीं रहता है। इस कारण वादीयां संख्या 01 का दावा इसी आधार पर कानूनन खारिज किये जाने योग्य पाया जाता

प्रतिवादी संख्या 01 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2004 से जो भूमि प्रतिवादी संख्या 02 केशरी देवी को बेचान कर दी थी उसमें शेष बची भूमि दर हिस्सा 1/2 हिस्सा 1/3 अर्थात 1/6 भाग की भूमि रामकूरी के पास शेष रही है। ग्यारसी देवी व अणची देवी ने अपना हिस्सा अपनी माता रामकूरी के पक्ष में हकत्याग कर दिया है। ऐसी स्थिति में अब शेष बची भूमि में भी ग्यारसी देवी वादीया संख्या 02 तथा प्रतिवादी संख्या 09 अणची देवी का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है। शेष बची भूमि में वादीया संख्या 01 सन्ती देवी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 राजेन्द्र प्रसाद जायन्दा पुत्र भंवरलाल यादव दत्तक पुत्र श्योसहाय का 1/2 हिस्सा रह जाता है। ऐसी स्थिति में शेष बची भूमि का हिस्सा 1/3 में से 1/2 भाग का वादीया संख्या 01 सन्ती देवी को तथा 1/2 भाग का राजेन्द्र प्रसाद दत्तक पुत्र श्योसहाय जाति अहीर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायसंगत समझते है। इसके साथ ही भूमि मुतनाजा को रिसीवरी से बागुजाश्त करते हुए रिसीवरी के दौरान जमा राशि का भुगतान राजेन्द्र प्रसाद दत्तक पुत्र श्योसहाय जाति अहीर को किया जाना उचित समझते है , जो प्रकरण में आपसी राजीनामा के आधार पर पक्षकार बनाया गया है।

अतः हस्तगत प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं पेश दस्तावेजात, एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किये गये राजीनामा, गोदनामा, हकत्याग एवं वकील प्रतिवादी सं0 2 की बहस आदि पर ध्यानपूर्वक मनन करने एवं गुणवगुण के आधार पर आदेश दिये जाते है कि प्रतिवादी संख्या 01 रामकूरी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 केशरी देवी के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2004 द्वारा बेचान की गई भूमि ग्राम राजपुरा पटवार हल्का बिदारा में स्थित खाता संख्या 93 में स्थित आ.ख.न. 86/0.03, 87/0.27, 88/0.36, 89/0.40, 90/0.12, 91/0.19, 93/0.03(बिडाला वाला कुंआ मय बिजली कनेक्शन), 94/0.25, 95/0.22, 96/0.20, 127/0.09, 128/0.11, 129/0.05, 130/0.03, 144/0.04, 145/0.35, 146/0.27, 147/0.34, 148/0.31, 149/0.36, 150/0.30, 151/0.38, कुल किता 22 रकबा 4.70 है0 जिसमें से हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण को एवं आ.ख.नं. 253/0.31, 254/0.26, 255/0.04, 256/0.05,(नरसा वाला कुआं बिना बिजली कनेक्शन), 257/0.05, 258/0.09, 259/0.19, 260/0.34, 261/0.42, 266/0.28, 267/0.38, 268/0.42, 274/0.60,

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

275/0.34, 276/0.30, 277/0.33, 278/0.29, 279/0.29, 280/0.46, 281/0.53, 349/0.21, 350/0.30, 351/0.26, 352/0.18, 356/0.16, 357/0.30, कुल किता 26 रकबा 7.38 है0 में से हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/3 भाग बेचान करने के पश्चात शेष बची भूमि आराजी खसरा नं0 253 लगा0 261, 266 लगा0 268, 274 लगा0 281, 349 लगा0 352, 356, 357 कुल किता 26 रकबा 7.38 है0 वाकै ग्राम राजपुरा तह0 शाहपुरा (जयपुर) में से 1/2 दर हिस्सा 1/3 में वादीया संख्या 01 सन्ती देवी पुत्री श्योसहाय पत्नि मालीराम जाति यादव निवासी शेरपुरा तहसील शाहपुरा एवं राजेन्द्र प्रसाद जायन्दा पुत्र भंवरलाल दत्तक पुत्र श्योसहाय जाति अहीर निवासी राजपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर को बहिस्सा बराबर बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। साथ ही विवादग्रस्त भूमि खसरा नं0 86 से 91, 93 से 96, 127 से 130, 144 से 151, 253 से 261, 266 से 268, 274 से 281, 349 से 352, 356, 357 कुल किता 48 रकबा 12.08 है0 वाकै ग्राम राजपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर को रिसीवरी से बागुजाश्त किया जाता है। रिसीवर तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह भूमि मुतनाजा का कब्जा निर्णयानुसार संभलावे तथा भूमि मुतनाजा की रिसीवरी के दौरान जमा राशि का भुगतान नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारों को उनके हिस्से अनुसार किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी में वादिया सं0 2 के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार का कोई वाद कारण शेष नहीं रहने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादीयागण का वाद पत्र वादी सं0 2 की खातेदारी घोषणा की हद तक खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17-10-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन, सहायक कलक्टर
शाहपुरा, जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

मूल वाद में डिक्री

प्रपत्र – 5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर (फा.ट्रेक)शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– वाद संख्या 62/2004 पुनः दर्ज 55/2013

शीर्षक

1. मु0 सन्ती पुत्री श्योसहाय पत्नी मालीराम जाति यादव निवासी शेरपुरा खोरी
2. ग्यारसी पुत्री श्योसहाय पत्नी सुण्डाराम जाति यादव निवासी ढाणी ढेरावाली तह0 शाहपुरा जयपुर

–वादीगण

बनाम

1. मु0 रामकूरी पत्नी श्योसहाय (फौत) नाम हजफ
2. केशरी पत्नी भंवरलाल
3. भंवरलाल
4. झूथाराम } पि0 देवबक्स
   - 4/1 प्रभाती देवी उर्फ प्रभु देवी पत्नी झुथाराम
   - 4/2 ग्यारसी लाल पुत्र झूथाराम
   - 4/3 कन्हैयालाल पुत्र झूथाराम
   - 4/4 सूरजमल पुत्र झूथाराम
   - 4/5 बाबूलाल पुत्र झूथाराम
   - 4/6 अर्जुन उर्फ करणसिंह पुत्र झूथाराम
   - 4/7 महेश पुत्र झूथाराम
   - 4/8 मैना पुत्री झूथाराम
   - 4/9 प्रेम देवी पुत्री झूथाराम
5. भूरी देवी पत्नी देवबक्स (फौत)
6. बिरदी चन्द पुत्र जवाना (फौत)
   - 6/1 बिदामी पत्नी बिरदी चन्द
   - 6/2 सुरेश पुत्र बिरदी चन्द
   - 6/3 कैलाश पुत्र बिरदी चन्द
   - 6/4 राधेश्याम पुत्र बिरदीचन्द
   - 6/5 मुन्नी देवी पुत्री बिरदीचन्द
   - 6/6 सजना पुत्री बिरदीचन्द
7. रामेश्वर पुत्र जवाना

   समस्त जाति यादव निवासी राजपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर।
8. मु0 तीजा पत्नी जवाना
9. मु0 अणची देवी पुत्री श्योसहाय पत्नी शिवराम जाति यादव निवासी ढ़ाणी नवां की तन खोरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक तहसील शाहपुरा जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जयपुर।
12. राजेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र श्योसहाय जाति यादव निवासी राजपुरा तह0 शाहपुरा

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तहारहक खातेदारी बंटवारा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 17-10-2022

अतः हस्तगत प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं पेश दस्तावेजात, एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किये गये राजीनामा, गोदनामा, हकत्याग एवं वकील प्रतिवादी सं0 2 की बहस आदि पर ध्यानपूर्वक मनन करने एवं गुणवगुण के आधार पर आदेश दिये जाते है कि प्रतिवादी संख्या 01 रामकूरी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 केशरी देवी के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2004 द्वारा बेचान की गई भूमि ग्राम राजपुरा पटवार हल्का बिदारा में स्थित खाता संख्या 93 में स्थित आ.ख.न. 86/0.03, 87/0.27, 88/0.36, 89/0.40, 90/0.12, 91/0.19, 93/0.03(बिडाला वाला कुंआ मय बिजली कनेक्शन), 94/0.25, 95/0.22, 96/0.20, 127/0.09, 128/0.11, 129/0.05, 130/0.03, 144/0.04, 145/0.35, 146/0.27, 147/0.34, 148/0.31, 149/0.36, 150/0.30, 151/0.38, कुल किता 22 रकबा 4.70 है0 जिसमें से हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण को एवं आ.ख.नं. 253/0.31, 254/0.26, 255/0.04, 256/0.05,(नरसा वाला कुआं बिना बिजली कनेक्शन), 257/0.05, 258/0.09, 259/0.19, 260/0.34, 261/0.42, 266/0.28, 267/0.38, 268/0.42, 274/0.60

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

275/0.34, 276/0.30, 277/0.33, 278/0.29, 279/0.29, 280/0.46, 281/0.53, 349/0.21, 350/0.30, 351/0.26, 352/0.18, 356/0.16, 357/0.30, कुल किता 26 रकबा 7.38 है0 में से हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/3 भाग बेचान करने के पश्चात शेष बची भूमि आराजी खसरा नं0 253 लगा0 261, 266 लगा0 268, 274 लगा0 281, 349 लगा0 352, 356, 357 कुल किता 26 रकबा 7.38 है0 वाकै ग्राम राजपुरा तह0 शाहपुरा (जयपुर) में से 1/2 दर हिस्सा 1/3 में वादीया संख्या 01 सन्ती देवी पुत्री श्योसहाय पत्नि मालीराम जाति यादव निवासी शेरपुरा तहसील शाहपुरा एवं राजेन्द्र प्रसाद जायन्दा पुत्र भंवरलाल दत्तक पुत्र श्योसहाय जाति अहीर निवासी राजपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर को बहिस्सा बराबर बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। साथ ही विवादग्रस्त भूमि खसरा नं0 86 से 91, 93 से 96, 127 से 130, 144 से 151, 253 से 261, 266 से 268, 274 से 281, 349 से 352, 356, 357 कुल किता 48 रकबा 12.08 है0 वाकै ग्राम राजपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर को रिसीवरी से बागुजाश्त किया जाता है। रिसीवर तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह भूमि मुतनाजा का कब्जा निर्णयानुसार संभलावे तथा भूमि मुतनाजा की रिसीवरी के दौरान जमा राशि का भुगतान नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारों को उनके हिस्से अनुसार किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी में वादिया सं0 2 के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई वाद कारण शेष नहीं रहने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादीयागण का वाद पत्र वादी सं0 2 की खातेदारी घोषणा की हद तक खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17-10-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला-जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	